

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेशशासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक
प्रति,

1222

/710/आउशि/संबद्धता/12,

भोपाल, दिनांक

28/2/13

कुल सचिव,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल

विषय: मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं(एक)(v) एवं धारा 35(j)
के अन्तर्गत अनुमति-अशासकीय श्री सत्यसाई कालेज आफ एमसीए, सीहोर
संदर्भ: संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 27.12.12

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल द्वारा संचालित
अशासकीय श्री सत्यसाई कालेज, आफ एमसीए, सीहोर को सत्र 2013-14 के लिये निम्न
विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र सशर्त जारी किया जाता है:-

विषय/पाठ्यक्रम

1. बी०सी०ए०-तृतीय
 2. बी०बी०ए०-तृतीय
 3. बी०एससी०-तृतीय(आ०पा०, भौतिक, गणित, रसायन)
अति०वि०-वनस्पति, प्राणी, कम्प्युटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रानिक्स एवं आई०टी०
 4. बी०काम०-तृतीय-प्लेन/कम्प्युटर एप्लीकेशन(अति०वि०)
 5. बी०ए०-तृतीय(आ०पा०, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास)
अति०वि०-समाजशास्त्र, कम्प्युटर एप्लीकेशन
- 2/ विश्वविद्यालय संबद्धता से पूर्व संस्था से निम्न पूर्तियाँ कराई जाना सुनिश्चित करें:-
अ) संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियों आवश्यक रूप से कर ले ।
ब) संस्था को सत्र 2012-13 की आडिट रिपोर्ट 02 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
- 4/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/
अनुशंसा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
- 5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

1223

पृ० क्रमांक

/710/आउशि/संबद्धता/12,

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल होशंगाबाद संभाग, भोपाल
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी चन्द्रशेखर आजाद पीजी महाविद्यालय, सीहोर
4. प्राचार्य, अशासकीय श्री सत्यसाई कालेज आफ एमसीए, सीहोर ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

28/2/13

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश